कार्यालय कलेक्टर जिला–छिन्दवाड़ा

:: विज्ञप्ति ::

छिन्दवाड़ा दिनांक 21/08/2024

क्रं./4955 / वि0लि01/स्था0/2024 :– म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग द्वारा लोक सेवा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये पद कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के स्वीकृत 06 पदों की पूर्ति संविदा आधार पर किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन विज्ञप्ति प्रसारित है:–

1. भर्ती किये जाने वाले पदों का विवरण :–

क्रं.	संविदा पद का नाम	मानदेय/राशि प्रतिमाह	स्वीकृत पद संख्या
1	कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	19500/–	06

2. आरक्षण तालिका ::–

पदनाम	वर्ग/संवर्ग	ओपन	महिला	कुल	रिमार्क
कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा)	अनारक्षित	01	01	02	-
	अनुसूचित जनजाति	02	01	03	-
	अनुसूचित जनजाति (विकलांग)	01	-	01	विकलांगता का प्रकार अस्थिबाधित हाथ से एवं दृष्टिबाधित तथा श्रवणबाधित को छोडकर टीप:-अनुसूचित जनजाति (विकलांग) संवर्ग का अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित (विकलांग) संवर्ग के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
कुल रिक्त पदो की संख्या				06	

2.1 तालिका में दर्शित पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 05/09/2024 से 25/09/2024 तक ऑनलाईन प्रकिया के तहत www.mponline.gov.in पर पोर्टल शुल्क 200 रु. प्रति अभ्यर्थी एवं GST अतिरिक्त निर्धारित है।

3. शैक्षणिक व्यवहारिक एवं तकनीकी अर्हताऐं :–

3.1 कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण करने की दक्षता।

3.2 डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी

3.3 दस्तावेजों की स्केनिंग

3.4 एम.एस.ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव।

3.5 शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

3.6 न्यूनतम तकनीकी योग्यता C.P.C.T. (कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा) में दोनों सेक्शन में Qualified होना अनिवार्य है।

4. पात्रता :–

4.1 उम्मीदवार म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिये।

4.2 आयु 01.01.2024 को 18 वर्ष से 40 वर्ष तक (शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी।)
(नोट :– ओबीसी, एसटी एवं एससी अभ्यर्थियों हेतु आयु सीमा मे छूट म0प्र0 शासन के भर्ती नियमानुसार प्रदाय की जावेगी।)

5. नियुक्ति की प्रक्रिया :–

5.1 प्राप्त आवेदनों को समिति द्वारा उपरोक्त अर्हताओं अनुसार जांच की जाकर पात्र/अपात्र की सूची पृथक–पृथक बनाई जावेगी।

5.2 पात्र आवेदकों की सूची को सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड में प्राप्त अंको के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। सी.पी.सी.टी. के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं, प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) स्पीड का होता है। नेट टाईपिंग स्पीड के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियेंसी में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग में क्वालिफाईड किया हो

5.3 यदि दो या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होंगें तो हिन्दी टाईपिंग के अंको के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।

5.4 हिन्दी टाईपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा।

5.5 मेरिट में दो आवेदको को कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी, हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी।

5.6 आवेदक छिन्दवाड़ा जिले की बेवसाइट www.chhindwara.nic.in एवं **MP Online Portal** पर भी समस्त जानकारी देख सकते है। अभ्यर्थी mponline portal के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। डॉक के माध्यम से ऑफ लाईन प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

5.7 विकलांगता का प्रकार अस्थिबाधित हाथ से एवं दृष्टिबाधित तथा श्रवणबाधित को छोडकर शेष अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जनजाति (विकलांग) संवर्ग का अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित (विकलांग) संवर्ग के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

5.8 उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जावेगा। कलेक्टर छिन्दवाड़ा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

5.9 सभी विवादों का न्यायायिक क्षेत्र छिन्दवाड़ा रहेगा।

5.10 चयनित अभ्यार्थियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी।

6. नियुक्ति की शर्तें :–

1. संविदा के अंतर्गत नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिये होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कार्यालय सहायक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के एक सप्ताह की अवधि में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के समक्ष अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
3. संविदा नियुक्ति के पूर्व मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।
5. संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिए पुनः सेवा पर नियुक्त किया जा सकेगा।
6. कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री आपरेटर को संविदा अवधि के दौरान म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ2-10/2012/सात/4, दिनांक 26/09/2023 अनुसार रू.

19500/- (पे लेवल-4) प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा एवं वेतन वृद्धि म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, भोपाल दिनांक 22/07/2023 की कंडिका क्रमांक 4.3 अनुसार की जावेगी।

7. वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। कर्मचारी का कार्य संतोषप्रद पाया जाता है और उनके विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक अथवा अभियोजन कार्यवाही प्रचलित न हो अनुबंध का स्वत: ही समान शर्तो पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण किया जाएगा। प्रचलित अनुबंध पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगामी 1 वर्ष के नवीनीकरण की टीप दर्ज की जावेगी तथा पुन: फ्रेश अनुबंध निष्पादित करने की अनिवार्यता नहीं होगी।

8. जिन संविदा कर्मचारियों को पूर्व से ई.पी.एफ./राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जाऐगा।

9. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, भोपाल दिनांक 22/07/2023 कंडिका क्रमांक 5.1 अनुसार संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश, 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से एक वर्ष में 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जाएंगे। कंडिका 5.2 अनुसार संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश, की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी, जो महिला शासकीय सेवक के लिए म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम, 1977 में निर्धारित है। इसी प्रकार संविदा पर नियुक्त पुरुष अधिकारी/कर्मचारियों को वर्णित अवकाश नियम अनुसार 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग कार्यालय प्रमुख या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

10. नियुक्ति पर नियुक्ति व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्त प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

11. कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर(संविदा) का जाब चार्ट जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होंगे।

12. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी समक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति / निर्देष के कोई भी सूचना / जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

13. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य मानक स्तर से नहीं करने की स्थिति में कारण बताओं स्पष्टीकरण पत्र जारी कर रूपये 250/- तक अर्थदण्ड या अनुशासनहीनता करने का लगाया जा सकेगा। संविदा के दौरान दो बार से अधिक अर्थ दण्ड लगने की स्थिति निर्मित होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लगाते समय सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. चयनित उम्मीद्वार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्ति कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है, तो बिना कारण बतायें नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

15. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न हीं उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि की पात्रता होगी।
16. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर भविष्य में नियमितिकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
17. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी को एक माह पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
18. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
19. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, भोपाल दिनांक 22/07/2023 में प्रावधानित निर्देशों के तहत प्रवधानित होंगें।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा का निर्णय अंतिम होगा।

7. **प्रतीक्षा :–**

चयनित उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम दो उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी।

8. **प्रतीक्षा सूची की वैधता :–**

प्रतीक्षा सूची की वैधता सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी।

(शीलेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला छिन्दवाड़ा

क्रमांक 4955/वि0लि01/स्था0/ 2024 छिन्दवाड़ा, दिनांक 21/08/2024

प्रतिलिपि–

1. सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त म.प्र भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक संचालक जनसंपर्क कार्यालय छिन्दवाड़ा की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. जिला प्रबंधक लोक सेवा जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य परिचालन अधिकारी एम.पी. ऑनलाईन, डी.बी. मॉल–4जी फ्लोर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (एन.आई.सी.) जिला–छिन्दवाड़ा की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति छिन्दवाड़ा जिले की बेवसाइट www.chhindwara.nic.in पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी अधिकारी नाजिरात शाखा, छिन्दवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला छिन्दवाड़ा